छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश

विविध अपील क्र. 710/2005

अपीलार्थी/वादी:

मनोज कुमार अग्रवाल, आत्मज बाबूलाल अग्रवाल, आयु लगभग 43 वर्ष, अग्रवाल प्रिंटर्स पुलिस थाना के पीछे, आपापुरा जिला-दुर्ग (छ.ग.)

<u>विरुद्ध</u>

उत्तरवादीगण:

1. श्रीमती दुलारी बाई, आत्मज लालफूराम वाल्मीकि, आयु लगभग 51 वर्ष निवासी रामनगर ग्वालीपुरा, स्वीपर कॉलोनी कामठी, नागपुर (महाराष्ट्र)
2. छत्तीसगढ़ राज्य- द्वारा कलेक्टर, धमतरी तहसील व जिला-धमतरी
3. संजय अग्रवाल आत्मज श्यामसुंदर अग्रवाल आयु लगभग 40 वर्ष निवासी गुजराती कॉलोनी धमतरी तहसील व जिला-धमतरी

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

सुश्री सुनीता जैन, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री विष्णु कोष्टा, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 3 के अधिवक्ता।

श्री अखिल अग्रवाल, प्रत्यर्थी क्रमांक 2/राज्य के लिए पैनल अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांकित 6 अप्रैल 2006)

यह अपील अतिरिक्त जिला न्यायाधीश धमतरी द्वारा व्यवहार वाद क्र. 9ए/2005 में पारित आदेश दिनांक 21.04.2005 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश **XXXIX** नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 के तहत दायर आवेदन को

खारिज कर दिया गया है।

2. अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर विनिर्दिष्ट पालन और कब्जे के लिए वाद दायर किया था कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने दिनांक 13.10.2004 को अपीलार्थी के साथ वाद भूमि खसरा क्र. 1675/5 रकबा 0.15 एकड़ को बेचने का अनुबंध किया था, जिसने बयाना राशि के रूप में 11,000/- रुपये प्राप्त करने के बाद अनुबंध पत्र निष्पादित किया, तत्पश्चात, अपीलार्थी ने बार-बार प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से विक्रय विलेख निष्पादित करने का अनुरोध किया, पंरतु वह इसे टालती रही और जब उसे पंजीकृत नोटिस भेजा गया, तो उसने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वाद के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने दिनांक 29.01.2005 को एक पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा वाद भूमि प्रत्यर्थी क्रमांक 3 को बेच दी। अतः, उसे भी वाद में पक्षकार बनाया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए आदेश **XXXIX** नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। प्रत्यर्थी क्रमांक 3 ने दावे का खंडन किया और कथन किया कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में वाद भूमि को बेचने का कोई अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कथन किया कि वह वाद भूमि का पूर्ण स्वामी है, इसलिए उसके विरुद्ध कोई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अपीलार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति का सिद्धांत नहीं पाया। इसलिए, आक्षेपित आदेश के माध्यम से आवेदन को खारिज कर दिया गया।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **अशोक कुमार साबल विरुद्ध सेवक प्रसाद सिंह, एम.पी. वीकली नोट्स 1997 (1) शॉर्ट नोट 123 और महरवाल खेवाजी ट्रस्ट (पंजीकृत) फरीदकोट विरुद्ध बलदेव दास, 2004 (8) एससीसी 488** के प्रकरणों में दिए गए निर्णयों का अवलंब लेते हुए तर्क दिया कि मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के लिए और अपीलार्थी के हितों की रक्षा के लिए भी, जो यथास्थिति(स्टेटस को) के अभाव में पर्याप्त हानि उठा सकता है, जबकि यदि मुकदमे के निपटारे तक यथास्थिति की अनुमति दी जाती है तो प्रत्यर्थी क्रमांक 3 को कोई नुकसान नहीं होगा, अपीलार्थी अनुतोष का हकदार था, परंतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उचित विचार किए बिना, आक्षेपित आदेश के माध्यम से आवेदन को त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. स्वीकृत रूप से, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 वाद भूमि की स्वामी थी, जिसने इसे दिनांक 29.01.2005 को एक पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 3 को बेच दिया और उसे कब्जा भी सौंप दिया, जो उसके कब्जे में है। विक्रय अनुबंध में सन्निहित शर्तों में से एक यह है कि "यदि क्रेता चाहेगा तो उसके या अन्य नाम से जो वह

कहेगा उस नाम से रजिस्ट्री करने को बाध्य रहूंगी। जमीन की नपाई व अन्य कागज जो रजिस्ट्री के लिये अनिवार्य होगें वह विक्रेता को उपलब्ध करवांउगीं"। यह इंगित करता है कि अपीलार्थी की इच्छा या पसंद पर विक्रय विलेख किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर भी निष्पादित किया जाना है, क्या ऐसे अनुबंध को विक्रय अनुबंध माना जा सकता है, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 और 3 ने यह प्रश्न उठाया है कि ऋण लेनदेन का विवाद है; इसलिए, क्या अनुबंध ऋण की सुरक्षा के लिए निष्पादित किया गया था, यह भी वाद में मौजूद एक विवाद है। प्रथम दृष्टया, भूमि का स्वामित्व अपीलार्थी के पक्ष में अंतरित नहीं हुआ था, जबकि एक पंजीकृत विक्रय विलेख और कब्जे के वितरण द्वारा, वाद भूमि के वास्तविक स्वामी ने इसे प्रत्यर्थी क्रमांक 3 को अंतरित कर दिया है जो वाद भूमि का स्वामी और कब्जेधारी है। अनुबंध के विवरण से, प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी एक वास्तविक खरीदार नहीं है, अपीलार्थी एक संपत्ति डीलर प्रतीत होता है, जिसने भूमि के खरीद और बिक्री के व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसा दस्तावेज तैयार किया और प्राप्त किया, इसलिए, ऐसे अनुबंध के उल्लंघन से अपीलार्थी को कोई अपूरणीय क्षति नहीं होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अशोक कुमार साबल (उपरोक्त) और महरवाल खेवाजी ट्रस्ट (उपरोक्त) में अधिष्ठापित विधिक तथ्यों के आधार पर भिन्न हैं। स्पष्ट रूप से, सुविधा का संतुलन और

अपूरणीय क्षति का सिद्धांत अपीलार्थी के पक्ष में नहीं है।

7. अभिलेख पर मौजूद सभी तथ्यों और सामग्री पर विचार करते हुए, मेरी अभिमत है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करके आवेदक के आवेदन को नामंजूर करने में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं की है। आक्षेपित आदेश ऐसी कमियों से ग्रस्त नहीं है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, इसलिए, अपील खारिज होने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

पक्षकार अपना-अपना वादव्यय स्वयं वहन करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
वी.के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**